


23²/₂₂ पञ्जाबी स्टूडेंट्स वकील प्रार्थी कलुफ /
 न्यायालय के डाय पुकारे जाते पद
 मा तो प्रार्थी ना ही वकील प्रार्थी
 न्यायालय के समक्ष उपनिजात हुये। किता
 प्राप्ता इतना हाजिरी कदम पैकी में
 खारिज किया जाता है। पञ्जाबी निफका -
 मुकाल दाखिल करवा होम नम्बर
 ले कर हो।


 (प्रियका तलानिया)
 उपखण्ड अधिकारी
 अनुपगढ

